भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1075
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

एससी/एसटी और महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

1075. # श्री नीरज डांगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संचालित न्यायालयों में कुल नियुक्त न्यायाधीशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यायाधीशों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा देश के उच्च न्यायालयों में एससी/एसटी और महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) वर्तमान में देशभर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या की राज्य-वार स्थिति क्या है ; और

(घ) देश में जनसंख्या अनुपात के अनुसार प्रति लाख व्यक्तियों पर नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **उपाबंध–1** पर है ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करती है । अत:, उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों के बीच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रुप् से अनुरक्षित नहीं किया जाता । तथापि, 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों को, विहित रुप विधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरा उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से नियुक्त किए गए 698 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 108 महिला न्यायाधीश हैं जब कि 22 अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, 15 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, 87 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग से संबंधित है तथा 37 अल्पसंख्यंक समुदायों से संबंध रखते हैं ।

प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के आरंभ के लिए उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है, जबकि, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आंरभ का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम-अवर न्यायाधीशों के परामर्श से, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है । तथापि, सरकार

ने उच्च् न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अनुरोध किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजने के दौरान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यको तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थीयों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया जाता है जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलिजीयम द्वारा सिफारिश किया जाता है ।

(ग) : देश भर में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की राज्य-वार रिक्त पदों की संख्या की वर्तमान प्रास्थिति **उपाबंध-2** पर है ।

(घ) : जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर, जो कि 1210.19 मिलियन है और 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश भर में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात लगभग 1 मिलियन जनता पर 21 न्यायाधीश हैं (21 न्यायाधीश/प्रतिमिलियन) ।

****

उपाबंध-1

'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणी से न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1075 जिसका उत्तर तारीख 13.02.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

07.02.2025 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन)	सिविल जज (कनिष्ठ र डिवीजन))	सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन)	सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन)	जिला न्यायाधीश/डीजे	जिला न्यायाधीश/डीजे	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कुल कार्यरत संख्या	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल कार्यरत संख्या	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कुल न्यायाधीशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों का प्रतिशत
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति		
1	कर्नाटक	77	19	90	20	60	9	275	1152	24%
2	राजस्थान	64	47	60	52	59	24	306	1308	23%
3	दिल्ली	46	21	12	1	10	1	91	803	11%
4	पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0	3	26	12%
5	तमिलनाडु	119	5	57	4	35	1	221	1023	22%
6	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	24	0%
7	आंध्र प्रदेश	53	19	23	10	30	3	138	564	24%
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	4	0%
10	गोवा	0	2	0	0	0	0	2	40	5%
11	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2	234	1940	12%
12	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	7	32	33	97%
13	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13	108	445	24%
14	सिक्किम	0	1	0	2	0	5	8	23	35%
15	उत्तराखंड	16	3	12	4	18	5	58	270	21%
16	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	12	0%
17	बिहार	129	9	63	5	48	3	257	1536	17%
18	मणिपुर	0	6	0	4	0	4	14	49	29%
19	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	863	0%
20	चंडीगढ़	7	0	0	0	1	0	8	30	27%
21	हरियाणा	31	0	42	0	21	0	94	551	17%
22	जम्मू - कश्मीर	13	11	6	7	9	8	54	279	19%

23	लद्दाख	1	2	0	4	0	1	8	11	73%
24	ओडिशा	30	4	0	0	0	0	34	840	4%
25	पंजाब	118	0	34	0	33	0	185	723	26%
26	उत्तर प्रदेश	214	17	134	15	191	7	578	2698	21%
27	असम	16	23	12	21	6	7	85	461	18%
28	छत्तीसगढ	26	57	17	45	30	26	201	465	43%
29	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	6	1	29	160	18%
30	झारखंड	15	31	0	0	0	0	46	506	9%
31	मिजोरम	0	13	0	17	0	15	45	45	100%
32	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6	35	109	32%
33	गुजरात	59	1	50	4	8	0	122	1185	10%
34	केरल	20	0	11	1	10	1	43	533	8%
35	लक्षद्वीप	1	0	0	1	0	0	2	4	50%
36	मध्य प्रदेश	122	55	79	106	66	73	501	1692	30%
37	मेघालय	0	15	0	21	0	18	54	57	95%
कुल		**1371**	**403**	**772**	**381**	**704**	**240**	**3871**	**20466**	19%

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

****

उपाबंध-2

'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणी से न्यायाधीशों की नियुक्ति' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1075 जिसका उत्तर तारीख 13.02.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

07.02.2025 तक देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत			कार्यरत संख्या			रिक्तियां		
		स्थाई	अतिरिक्त	कुल	स्थाई	अतिरिक्त	कुल	स्थाई	अतिरिक्त	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	79	0	79	40	41	81
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	21	9	30	7	0	7
3	बोम्बे	71	23	94	52	16	68	19	7	26
4	कलकत्ता	54	18	72	33	10	43	21	8	29
5	छत्तीसगढ	17	5	22	9	7	16	8	-2	6
6	दिल्ली	45	15	60	38	0	38	7	15	22
7	गुवाहाटी	22	8	30	21	3	24	1	5	6
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	19	6	25	12	3	15	7	3	10
11	झारखंड	20	5	25	16	0	16	4	5	9
12	कर्नाटक	47	15	62	47	2	49	0	13	13
13	केरल	35	12	47	30	15	45	5	-3	2
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	33	0	33	7	13	20
15	मद्रास	56	19	75	54	11	65	2	8	10
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	18	0	18	6	9	15
19	पटना	40	13	53	34	0	34	6	13	19
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	48	3	51	16	18	34
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	23	7	30	9	3	12
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**846**	**276**	**1122**	**667**	**88**	**755**	**179**	**188**	**367**

****